SEBI का KYC सरलीकरण: KRA, पोर्टेबिलिटी और नए नियम

PCSMANTRA.COM

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 25 नवंबर 2026

प्रिलिम्स: पूँजी बाज़ार, निवेशक संरक्षण, वित्तीय समावेशन

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-III (पूँजी बाज़ार, निवेशक संरक्षण, वित्तीय समावेशन)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

25 नवंबर 2026 को SEBI ने परिपत्र जारी कर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRA) के स्तर पर ग्राहक ऑन-बोर्डिंग को सरल बनाने और जोखिम-प्रबंधन ढाँचे को तर्कसंगत करने के बदलाव बताए। ये बदलाव अक्टूबर 2023 के KYC मास्टर परिपत्र में किए गए हैं। [1]

बुनियादी शब्द

KYC (अपने ग्राहक को जानें): निवेशक की पहचान और पते का सत्यापन। **KRA:** SEBI (KRA) विनियम, 2011 के अंतर्गत KYC रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी, ताकि एक बार हुआ KYC अन्य मध्यस्थों के काम आए। **CKYCR:** केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, जो CKYC पहचान संख्या देती है। **DIGIPIN:** डाक विभाग द्वारा विकसित 10 अक्षर-अंक की भू-कोडित पता प्रणाली। **OVD:** आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़। [1]

यह भी पढ़ें
निवेश वाले बंद समूहों में फर्जी पहचान: SEBI की चेतावनी

मुख्य बदलाव (पैरा 3.1 से 3.7)

1. पूरक सूचना का केंद्रीकरण: खाता-खोलने के फ़ॉर्म के भाग-II की साझा सूचना (आय सीमा, FATCA/CRS जानकारी, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति का दर्जा, व्यवसाय) अब KRA स्तर पर रखी जाएगी। मध्यस्थ को CKYC ID और DIGIPIN (यदि उपलब्ध हों) तथा OVD की वैधता तिथि भी KRA में अपलोड करनी होगी। KYC पूरा होने के तीन कार्य-दिवस में अपलोड ज़रूरी है। [1]

2. रिकॉर्ड का अद्यतन: मध्यस्थ KRA और CKYCR से मिले अद्यतन के आधार पर ग्राहक के KYC रिकॉर्ड बदलेगा और ग्राहक को उसकी पुष्टि का विकल्प देगा। [1]

3. आधार से जुड़ा मोबाइल: यदि KRA में दर्ज मोबाइल नंबर पहले से सत्यापित और आधार-सीडेड है, तो ऑन-बोर्डिंग में उसका सत्यापन मध्यस्थ के लिए वैकल्पिक होगा। [1]

4. खाता-बंदी या असंबद्धता की सूचना: म्यूचुअल फ़ंड के अलावा मध्यस्थ खाता बंद होने के पाँच कार्य-दिवस में KRA को सूचित करेगा और KRA दो कार्य-दिवस में रिकॉर्ड अद्यतन या अलग करेगा। KRA से रिकॉर्ड डाउनलोड करने के 21 कार्य-दिवस में खाता न खुले, तो मध्यस्थ पाँच कार्य-दिवस में सूचना देगा। म्यूचुअल फ़ंड के लिए शून्य शेष वाले खाते के छह माह पूरे होने पर पाँच कार्य-दिवस में सूचना ज़रूरी है। मौजूदा रिकॉर्ड की स्थिति तीन माह में बतानी है। [1]

5. OCI और विदेशी नागरिक: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 6 के अनुसार भारत में 'निवासी' OCI कार्डधारक और विदेशी नागरिक के लिए विदेशी पते का प्रमाण वैकल्पिक होगा, बशर्ते वह भारत में निवास का पता-प्रमाण दे। [1]

6. नाम-परिवर्तन: PAN और आधार में नया नाम दर्ज हो चुका हो, तो अलग प्रमाण नहीं माँगा जाएगा। अन्यथा विवाह के कारण नाम-परिवर्तन पर राज्य सरकार का विवाह प्रमाणपत्र, पति के नाम वाला पासपोर्ट या राजपत्र अधिसूचना; अन्य कारणों से केवल राजपत्र अधिसूचना। पिता, माता या पति/पत्नी के नाम में बदलाव के लिए भी राजपत्र अधिसूचना चाहिए। कर्नाटक और पंजाब में, जहाँ निजी व्यक्तियों के लिए राजपत्र संभव नहीं है, विवाह के अलावा अन्य कारणों से नाम बदलने पर ही अतिरिक्त दस्तावेज़ (अनुरोध पत्र, शपथपत्र, समाचारपत्रों में प्रकाशन और नए नाम से KYC) तय हैं। [1]

7. पोर्टेबिलिटी: यदि KRA द्वारा सभी आवश्यक विशेषताएँ (वर्तमान या स्थायी में से किसी एक पते सहित) आधिकारिक डेटाबेस (जैसे आयकर विभाग का PAN डेटाबेस, आधार XML, DigiLocker, mAadhaar) से सत्यापित हों और PAN-आधार लिंकेज सत्यापित हो, तो रिकॉर्ड 'वैलिडेटेड' माना जाएगा और मध्यस्थों के बीच पोर्टेबल होगा। KRA हर विशेषता के स्तर पर सत्यापन-स्थिति साझा करेगा। ग़ैर-वैलिडेटेड रिकॉर्ड पर मध्यस्थ अतिरिक्त जानकारी माँगेगा। [1]

लागू होने की तिथि और दायरा

परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार प्रावधान 24 दिसंबर 2026 से लागू होंगे, जब तक अन्यथा न कहा गया हो। परिपत्र इसे 'जारी होने से 30 दिन' भी लिखता है। परीक्षा में परिपत्र में लिखी तिथि 24 दिसंबर 2026 ही उद्धृत करें। KRA को 30 दिन के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करनी है। पैरा 3.1 से 3.4, 3.6 और 3.7 के प्रावधान FATF-अनुपालक देशों के व्यक्तिगत अनिवासी (PROI) ग्राहकों पर भी लागू होंगे। अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। [1]

क्या नहीं कहना है

यह कोई नया क़ानून नहीं, SEBI के KYC मास्टर परिपत्र में संशोधन है। 'आधार-सीडेड सत्यापित मोबाइल' पर सत्यापन वैकल्पिक है, अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं। 'वैलिडेटेड' का अर्थ केवल इतना है कि परिपत्र में बताई शर्तों पर आधिकारिक डेटाबेस से सत्यापन हुआ है। [1]

आगे की राह

विश्लेषण: साझा, वैलिडेटेड KYC से निवेशक को बार-बार दस्तावेज़ नहीं देने पड़ेंगे और अनुपालन लागत घटेगी। साथ ही केंद्रीकृत डेटा की गुणवत्ता, KRA की जवाबदेही और खाता-बंदी की समय पर सूचना से ही डेटा-गोपनीयता और सटीकता सुरक्षित रहेगी। [1]

PCSMANTRA.COM

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. SEBI के 25 नवंबर 2026 के KYC परिपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: यदि KRA में दर्ज मोबाइल नंबर आधार-सीडेड के रूप में सत्यापित है, तो ऑन-बोर्डिंग में उसका सत्यापन मध्यस्थ के लिए वैकल्पिक होगा।

कथन 2: हर नए खाता बंद होने पर म्यूचुअल फ़ंड के अलावा अन्य मध्यस्थ को KRA को सूचित करने के लिए तीन माह का समय मिलता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2

(b) 1 और 2 दोनों

(c) न तो 1, न ही 2

(d) केवल 1

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d)

कथन 1 सही है: ऐसा मोबाइल नंबर होने पर सत्यापन वैकल्पिक है।

कथन 2 ग़लत है: खाता-बंदी की सूचना पाँच कार्य-दिवस में देनी है। तीन माह की अवधि केवल मौजूदा रिकॉर्ड की स्थिति बताने के लिए है।

PCSMANTRA.COM

प्रश्न 2. KYC रिकॉर्ड के 'वैलिडेटेड' माने जाने के संदर्भ में परिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) ग्राहक द्वारा वर्तमान पते की स्व-घोषणा

(b) KRA द्वारा सभी आवश्यक विशेषताओं का आधिकारिक डेटाबेस से सत्यापन (पता: वर्तमान या स्थायी में से कोई एक) और PAN-आधार लिंकेज का सत्यापन

(c) केवल मध्यस्थ द्वारा दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रति रखना

(d) केवल CKYC ID का होना

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (b)

उत्तर (b): पैरा 3.7.1: KRA द्वारा आधिकारिक डेटाबेस से सभी विशेषताओं (किसी भी एक पते सहित) का सत्यापन और PAN-आधार लिंकेज का सत्यापन।

अन्य विकल्प परिपत्र की शर्त नहीं हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

पूँजी बाज़ार में KYC के केंद्रीकरण और पोर्टेबिलिटी से निवेशक-सुविधा और डेटा-सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है? SEBI के 25 नवंबर 2026 के परिपत्र के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: KYC और KRA की भूमिका तथा परिपत्र के उद्देश्य को रखें।

मुख्य भाग में: सूचना का केंद्रीकरण, वैलिडेटेड रिकॉर्ड की पोर्टेबिलिटी, आधार-सीडेड मोबाइल पर वैकल्पिक सत्यापन, खाता-बंदी की समय-सीमाएँ और डेटा-गुणवत्ता तथा गोपनीयता की चिंताएँ जोड़ें।

निष्कर्ष में: KRA की जवाबदेही, निगरानी और निवेशक की पुष्टि के विकल्प पर निष्कर्ष दें।

स्रोत

- https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/nov-2026/1795605346389.pdf

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

▼ परिपत्र कब से लागू होगा?

परिपत्र के पैरा 6 में 24 दिसंबर 2026 लिखा है, जब तक अन्यथा न कहा गया हो।

▼ क्या आधार-सीडेड मोबाइल का सत्यापन ख़त्म कर दिया गया है?

नहीं। KRA में सत्यापित और आधार-सीडेड टैग वाले नंबर पर यह मध्यस्थ के लिए वैकल्पिक है।

▼ वैलिडेटेड KYC रिकॉर्ड का क्या लाभ है?

वह मध्यस्थों के बीच पोर्टेबल है और ग्राहक को दस्तावेज़ बार-बार नहीं देने पड़ते।

PCSMANTRA.COM